उत्तराखण्ड शासन

वित्त अनुभाग–8

संख्या 328 / 2009 / 76(100) / XXVII (8) / 07

देहरादून, 20 मई, 2009

अधिसूचना

प्रकीर्ण

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण लिपिक वर्गीय सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली,2009

भाग एक– सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली,2009 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी ।

सेवा की प्रास्थिति 2. उत्तराखण्ड वाणिज्य कर लिपिकवर्गीय सेवा एक अराजपत्रित सेवा है,जिसमें समूह 'ग' के पद सम्मिलित हैं।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में :–

(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' से अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ख) 'भारत का नागरिक' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो संविधान'' के भाग–2 के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाए;

(ग) ''संविधान'' से भारत का संविधान अभिप्रेत है;

(घ) ''सरकार'' से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ड) 'राज्यपाल' से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत हैं;

(च) ''सेवा का सदस्य''से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,जो इस नियमावली के उपबन्धों या इस नियमावली के प्रारम्भ होने से पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त हो;

(छ) ''सेवा'' से अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड के प्रशासकीय नियंत्रण में उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण लिपिक वर्गीय सेवा अभिप्रेत है;

(ज) 'मौलिक नियुक्ति' से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गई हो; और

(झ) 'भर्ती का वर्ष' से किसी कलेण्डर वर्ष की जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।

भाग दो– संवर्ग

सेवा का संवर्ग 4 (1)सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जो समय–समय पर सरकार द्वारा अवधारित की जाय।

(2)सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या,जब तक उपनियम (1) अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश पारित न किये जायं,उतनी होगी,जो परिशिष्ट में दी गयी है;

परन्तु यह कि –

(एक)नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकेंगे अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकेंगे जिससे कोई व्यक्ति प्रतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा,

(दो)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन– भर्ती

भर्ती का स्रोत 5 (1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:–

पदनाम	भर्ती का स्त्रोत
(एक)कनिष्ठ सहायक	(क) 75 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा। (ख)15 प्रतिशत पद वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड के अधिष्ठान में समूह 'घ' के मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कर्मचारियों में से,जिन्होंने उस संवर्ग में न्यूनतम 05 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो,एवं उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद,रामनगर से हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिन्हें टंकण कार्य का समुचित ज्ञान हो, चयन द्वारा। इस हेतु सामान्य हिन्दी की 50 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची बनायी जायेगी । (ग) 10 प्रतिशत पद ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से, जिन्होंने संवर्ग में न्यूनतम 05 वर्ष की निरन्तर सेवा की हो,उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर की इण्टरमीडिएड या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जिन्हें टंकण कार्य का समुचित ज्ञान हो, चयन द्वारा। इस हेतु सामान्य हिन्दी की 50 अंकों की एक वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवीणता सूची बनायी जायेगी।

(दो)प्रवर सहायक	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे कनिष्ठ सहायकों में से जिन्होंने इस रूप में 05 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की हो,पदोन्नति द्वारा।
(तीन) मुन्सरिम	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रवर सहायकों में से,जिन्होंने इस रूप में 03 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की हो,पदोन्नति द्वारा।
(चार)प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड–II	मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे मुन्सरिमों में से,जिन्होंने इस रूप में 02 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण की हो,पदोन्नत द्वारा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण,भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार – अर्हताएं

राष्ट्रीयता

7. सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क)भारत का नागरिक हो, या

(ख)तिब्बती शरणार्थी हो,जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो,या

(ग)भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान,बर्मा,श्रीलंका तथा केनिया,युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तंगानिका और जंजीबार) के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु,यह कि उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये, जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से संबंधित अभ्यर्थी के लिए पुलिस उप–महानिरीक्षक,अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा;

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से संबंधित है तो पात्रता प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर ही सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी– ऐसे अभ्यर्थी को,जिसके मामले में पात्रता प्रमाण–पत्र आवश्यक हो,किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न ही देने से इन्कार किया गया हो,परीक्षा में सम्मलित किया जा सकता है और उसे उस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

आयु

8. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु उस कलेण्डर वर्ष की प्रथम जुलाई को, जिसमें नियुक्ति की जानी है,न्यूनतम 18 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये;

परन्तु यह कि उत्तराखण्ड राज्य में अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में,जिन्हें सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाय,अधिकतम आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी,जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

शैक्षिक अर्हता 9 कनिष्ठ सहायक सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को न्यूनतम उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा परिषद,रामनगर की इण्टरमीडिएट या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। इसके अतिरिक्त निर्धारित मानक के अनुसार हिन्दी टंकण का ज्ञान आवश्यक है।

अधिमानी अर्हताएं 10. अन्य बातें समान होने पर,सीधी भर्ती के मामले में उस अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा,जिसने–

(क) प्रादेशिक सेवा में कम से कम 02 वर्ष तक सेवा की हो;या

(ख)राष्ट्रीय सेवा दल(नेशनल कैडेट कोर) का 'बी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

वैवाहिक प्रास्थिति 11.सेवा में किसी पद पर भर्त्ती के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी,जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और ऐसी महिला अभ्यर्थी,जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी एक पत्नी पहले से ही जीवित हो,पात्र नहीं होंगे;

परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

चरित्र 12. सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सेवायोजन के लिये सब प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

शारीरिक योग्यता 13. किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 2, भाग तीन के अध्याय तीन में समाविष्ट मूल नियम 10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगाः

परन्तु, यह कि पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिये स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा ।

भाग पांच – भर्ती प्रक्रिया

रिक्तियों की अवधारणा

14. नियुक्ति प्राधिकारी,तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार,वर्ष के दौरान भरे जाने वाले पदों की संख्या और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों,अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा और उसकी सूचना सेवा नियोजन कार्यालय को देगा तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से सीधे प्रार्थना पत्र भी मंगा सकेगा।

सीधी भर्ती की प्रक्रिया

15. (1)सीधी भर्ती के लिये आवेदन–पत्र का प्ररूप, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा,न्यूनतम ऐसे दो दैनिक समाचार–पत्रों में,जिनका व्यापक परिचालन हो,प्रकाशित किया जायेगा।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी,निम्नलिखित रीति से,सीधी भर्ती के लिये आवेदन–पत्र उपनियम (1)में प्रकाशित प्ररूप पर, आमंत्रित करेगा और रिक्तियॉ अधिसूचित करेगा:–

(एक)ऐसे दैनिक समाचार–पत्रों में, जिसका व्यापक परिचालन हो,विज्ञापन जारी करके;

(दो)कार्यालय के सूचना पट्ट पर सूचना चस्पा करके या रेडियो/दूरदर्शन और अन्य रोजगार–पत्र के माध्यम से विज्ञापन करके ; और

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियॉं अधिसूचित करके।

(3) उप नियम (2) के अधीन रिक्तियां अधिसूचित करते समय आवेदन–पत्र का प्ररूप पुनः प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(4)(एक) चयन के लिये 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी। छंटनीशुदा कर्मचारियों को सेवा में एक पूर्ण वर्ष की सेवा के लिये 5 अंक व अधिकतम 15 अंक दिये जायेंगे। प्रवीणता सूची लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर तैयार की जायेगी।

(दो)(क) लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, जिसमें सामान्य हिन्दी,सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का एक प्रश्न पत्र होगा।

(ख) प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 ऋणात्मक अंक दिया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(घ)लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(ड.)लिखित परीक्षा के पश्चात,लिखित परीक्षा की उत्तरमाला (Answer Key) उत्तराखण्ड की वेबसाइट www.ua.nic.in पर प्रदर्शित की जायेगी या दैनिक समाचार पत्र में,जिसका व्यापक परिचालन हो,प्रकाशित की जायेगी।

(च) किसी पद पर, जिसके लिये टंकण अनिवार्य अर्हता के रूप में विहित हो, चयन किये जाने वाले अभ्यर्थियों की दशा में टंकण की परीक्षा होगी। टंकण परीक्षा के लिये 4000 KPDH(की डिप्रेशन पर आवर) न्यूनतम गति आवश्यक होगी।

उक्त परीक्षा 50 अंकों की होगी,जिन अभ्यर्थियों ने विहित न्यूनतम गति प्राप्त की होगी, उनको ही अंक दिये जायेंगे। टंकण परीक्षा में अभ्यार्थियों को उनके लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों व अन्य मूल्यांकनों के योग के आधार पर बुलाया जायेगा। टंकण परीक्षा के लिये बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या की चार गुना होगी।

(5) लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों और अन्य मूल्यांकनों,यथा स्थिति टंकण परीक्षा के अंकों के कुल योग से जैसा प्रकट हो, प्रवीणता सूची (अंतिम चयन सूची) तैयार की जायेगी। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग के बराबर–बराबर अंक प्राप्त करें,तो लिखित परीक्षा में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।यदि लिखित परीक्षा में भी दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर अंक प्राप्त किये हों,तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या,रिक्तियों की संख्या से अधिक (किन्तु पच्चीस प्रतिशत से अनधिक) होगी ।

चयन समिति का गठन

16. (1)सीधी भर्ती एक चयन समिति के माध्यम से की जायेगी,जिसमें निम्नलिखित होंगे:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी –अध्यक्ष

(दो) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों का कोई अधिकारी,यदि अध्यक्ष अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति का न हो। यदि अध्यक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अध्यक्ष द्वारा अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा। –सदस्य

(तीन) अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्गों का कोई अधिकारी, यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का न हो। यदि अध्यक्ष अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो अध्यक्ष द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों से भिन्न कोई अधिकारी नाम निर्दिष्ट किया जायेगा –सदस्य

(चार) भर्ती किये जाने वाले पद की अपेक्षाओं के अनुसार संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त ज्ञान रखने वाले एक अधिकारी को अध्यक्ष द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा –सदस्य

(पांच) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक अधिकारी –सदस्य

टिप्पणी–(क) यदि नियुक्ति प्राधिकारी विभागाध्यक्ष हो, तो ऐसी दशा में वह अपने स्थान पर किसी ऐसे अधिकारी को,जो अन्य सदस्यों से ज्येष्ठ हों, चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नाम निर्दिष्ट कर सकता है।

शुल्क

17. सेवा में सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थियों को ऐसा निर्धारित शुल्क देना होगा, जैसा सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय। शुल्क की वापसी के किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

भाग छः–पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया

पदोन्नति द्वारा भर्ती

18. (1) सेवा में संवर्ग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती,अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए,ज्येष्ठता के आधार पर,एक चयन समिति द्वारा उन व्यक्तियों में से चयन करके की जायेगी, जो इस नियमावली के अन्तर्गत पदोन्नति के पात्र हों।

(2) चयन समिति में निम्नलिखित होंगे–

(एक)अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण –अध्यक्ष

(दो) सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण –सदस्य

(तीन)आयुक्त,वाणिज्य कर द्वारा नामित एक विभागीय अधिकारी –सदस्य

स्पष्टीकरण– उपनियम(2) के खण्ड(तीन) के अधीन अध्यक्ष द्वारा नामित अधिकारी विभिन्न वर्गों के पदों,जिन पर भर्ती की जानी है,से सम्बन्धित चयनों के लिये भिन्न भिन्न व्यक्ति हो सकते हैं।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ग के पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा, जिनके लिये चयन किया जाना है।

(4) पात्रता के क्षेत्र के अन्दर आने वाले समस्त व्यक्तियों की पात्रता सूची,पदक्रम सूची और पात्रता सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों की चरित्र पंजियों सहित एवं उनके सम्बन्ध में ऐसे अन्य अभिलेख,यदि कोई हो,जो इस प्रयोजन के लिये तर्क संगत हो,चयन समिति के समक्ष रखे जायेंगे।

(5)जिस पद के लिये चयन करना है,उसके लिये पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्णय करने के लिये चयन समिति उन सभी के मामलों में उनकी चरित्र पंजियों और अन्य अभिलेखों के सन्दर्भ में,जो उनके समक्ष रखे गये हैं,विचार करेगी।

(6) चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के नामों को उस संवर्ग के अनुसार, जिससे पदोन्नति की गयी है उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखा जायेगा। इस प्रकार तैयार की गई चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम रिक्तियों की संख्या के दुगुने होंगे।

संयुक्त चयन सूची

19. उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली,2002 में उल्लिखित तत्संबंधी व्यवस्था के अनुसार संयुक्त चयन सूची तैयार की जायेगी।

भाग सात–नियुक्ति,परिवीक्षा,ज्येष्ठता तथा स्थायीकरण

नियुक्ति

20. (1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए,नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों के नाम उस क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम 15, 18 अथवा 19 यथास्थिति,के अधीन बनायी गयी सूचियों में हो,नियुक्ति करेगा।

(2) यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हैं तो नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी,जब तक कि दोनों

स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 19 के अनुसार संयुक्त सूचियां तैयार न कर ली जाएं।

(3) यदि किसी चयन के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्तियों के आदेश जारी किये जाते हैं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायेगा,जिसमें चयनित व्यक्तियों के नाम का उल्लेख चयन में अवधारित ज्येष्ठता के आधार अथवा उस क्रम में, यथास्थिति, जिस में उनका नाम उस संवर्ग में है,जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है/किया जायेगा। यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाती हैं तो नाम नियम 19 में निर्दिष्ट चक्रीय क्रम में क्रमांकित किये जायेंगे।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) के अधीन तैयार की गयी सूचियों से नियुक्ति कर सकता है। यदि उन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह इन नियमों के अधीन पात्र अभ्यर्थियों में से ऐसी रिक्तियों पर नियुक्ति कर सकता है। ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि या उस नियमावली के अधीन अगले चयन किये जाने तक,इनमें जो भी पहले हो,से अधिक नहीं चलेगी।

परिवीक्षा 21. (1)सेवा में किसी स्थायी पद पर या उसके विरुद्ध रिक्त पद पर नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षाधीन रहेगा।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पद या किसी अन्य समान या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा–अवधि की गणना करने के प्रयोजन हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से,जो अभिलिखित किये जायेंगे,पृथक–पृथक मामलों में परिवीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुए,जब तक अवधि बढ़ायी गई है,परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है;

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय,परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाई जायेगी।

(4) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की अवधि के अंत में या बढ़ाई गई परिवीक्षा की अवधि में,जैसी भी स्थिति हो,यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह अन्यथा समाधान करने में असफल रहा है,तो उसे उसके मौलिक पद पर,यदि कोई हो,प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) कोई व्यक्ति,जिसकी सेवायें उप–नियम(4) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित की जायं या समाप्त कर दी जायं,किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

ज्येष्ठता 22. एतद्पश्चात की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी।

स्थायीकरण 23. (1) किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर अपने पद पर स्थायी कर दिया जायेगा,यदि–

(क) उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया हो,
(ख) उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित हो,तथा
(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया हो कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा उपयुक्त है।
(2)जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,2002 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो,वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश, कि सम्बन्धित व्यक्ति ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली है,स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

भाग आठ–वेतन

वेतनमान 24. (1) सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को,चाहे वह मौलिक या स्थानापन्न या अस्थायी रूप में नियुक्त किये गये हों,अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा,जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जाये।
(2)इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होंगे:–

क्र0 सं0	पदनाम	वेतन बैंड / वेतनमान का नाम	वेतन बैंड / वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
(1)	प्रशासनिक अधिकारी,ग्रेड–II	वेतन बैंड–2	रू0 9300–34800	रू0 4200
(2)	मुन्सरिम	वेतन बैंड–1	रू0 5200–20200	रू0 2800
(3)	प्रवर सहायक	वेतन बैंड–1	रू0 5200–20200	रू0 2400
(4)	कनिष्ठ सहायक	वेतन बैंड–1	रू0 5200–20200	रू0 1900

परिवीक्षा अवधि में वेतन 25. (1) मूल नियमों में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी,परिवीक्षाधीन व्यक्ति को,यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो,तो उसे एक वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर समयमान में प्रथम वेतन वृद्धि की अनुमति प्रदान की जायेगी तथा दूसरी वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् परिवीक्षा अवधि पूर्ण किये जाने तथा स्थायी किये जाने पर दी जायेगी;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
(2) ऐसे व्यक्ति का,जो सरकार के अधीन पहले से पद धारण कंर रहा हो,परिवीक्षा अवधि में वेतन सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाती है तो उस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिये तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दे।
(3) परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन, जो पहले से ही स्थायी सरकारी सेवा में हो,राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग नौ–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 26. किसी पद या सेवा के संबंध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 27. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से उस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों,विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

सेवा की शर्तों का शिथलीकरण 28.जहॉ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्टि मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहॉ वह, इस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुए भी,आदेश द्वारा, उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए,जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत तथा साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यावृत्ति 29. इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट
(देखिये नियम–4(2)

सेवा में सम्मिलित विभिन्न श्रेणी के पदों की वर्तमान स्वीकृत संख्याः–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या		
		स्थायी	अस्थायी	योग
1	2	3	4	5
1–	प्रशासनिक अधिकारी,ग्रेड–II	–	1	1
2–	मुन्सरिम	2	–	2
3–	प्रवर सहायक	3	1	4
4–	कनिष्ठ सहायक	4	1	5
	कुल योग	9	3	12

आज्ञा से,

(एल0एम0पन्त)
सचिव।